अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

इस प्रतिवेदन में भारत सरकार के अधीन आने वाले संचार मंत्रालय (एम ओ सी) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) तथा इन मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 से सम्बंधित वित्तीय लेन -देन के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित 19 अनियमित मामलों की व्याख्या के साथ साथ लेखापरीक्षा पर वसूली से संबंधित एक प्रकरण को सम्मिलित किया गया है।

यह प्रतिवेदन दो खंडों, **खंड क** व **खंड ख** में संगठित किया गया है। **खंड क** में दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी) व एम ई आई टी वाई की अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बंधित मामले हैं तथा **खंड ख** में मंत्रालयों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बंधित मामले हैं। प्रतिवेदन के अध्याय नीचे दिए गए हैं:

अध्याय I मंत्रालयों/ विभागों/ इन मंत्रालयों के अधीन संस्थाओं का खाका प्रदान करने के साथ-साथ, आय एवं व्यय का एक संक्षिप्त विश्लेषण करता है। इसमें मंत्रालयों/ विभागों और मंत्रालयों के अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणो की अनुवर्ती कार्यवाही भी शामिल है।

खंड क के **अध्याय II** से **IV** में संचार मंत्रालय (एम ओ सी) के अधीन आने वाले दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी) एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के लेखापरीक्षा परिणाम/ पर्यवेक्षण शामिल हैं।

खंड ख के **अध्याय V** एवं **VI** में संचार मंत्रालय (एम ओ सी) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन

आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम/ पर्यवेक्षण शामिल हैं।

1.2 सी ए जी द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के प्रकार

सी ए जी व्यापक रूप से वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा तीन तरह के लेखापरीक्षा करता हैं। वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा की एक अभिव्यक्ति है, जबकि निष्पादन लेखापरीक्षा इस बात की जांच करने के लिए किया जाता है कि मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को किस तरह लागू किया गया। अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य ऑडिट की गई इकाइयों के व्यय एवं प्राप्ति सहित सम्पत्तियों एवं दायित्व संबंधित लेन-देन का परीक्षण करना है तथा उनके द्वारा भारत के संविधान के लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों की अनुपालना को सूचित करना है। अनुपालन लेखापरीक्षा में वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य और विवेक को ध्यान में रखते हुए नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों की परीक्षा भी शामिल है। लेखापरीक्षाएं सी ए जी द्वारा अनुमोदित मानकों के आधार पर की जाती हैं। यह मानक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान पालन किये जाने वाले मानदंडों को निर्धारित करते हैं। साथ ही यह मानक अलग अलग मामलो में गैर-अनुपालन सहित वित्तीय प्रबंधन की प्रणालियों और लेखापरीक्षा की गई इकाइयों के आंतरिक नियंत्रण में मौजूद कमजोरियों को सूचित करने के मानदंडों को निर्धारित करते हैं। लेखापरीक्षा परिणाम का उद्देश्य कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने के साथ ऐसी नीतियों एवं प्रक्रियाओं के निर्माण में मदद करना है जो संगठनो के बेहतर वित्तीय प्रबंधन तथा संचालन में योगदान करें।

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु एवं संसद को प्रतिवेदित करने हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुछेद 149 से 151 तथा सी.ए.जी के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से उत्पन्न होता है। सी ए जी, भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी ए जी के (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13 और 17 के तहत करता है। संसद द्वारा या कानून के तहत स्थापित निकायों और सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान में निर्दिष्ट निकायों की लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) की लेखापरीक्षा को अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत सार्वजनिक हित में सी ए जी को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, सी ए जी द्वारा भारत की संचित निधि से अनुदानों/ ऋणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत की जाती हैं।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना एंव संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाईयों का चयन जोखिम मूल्यांकन के अलावा सामयिकता, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के आधार पर किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन के अंतर्गत इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन तथा अपस्फीति, गलत व्यवहार, गबन इत्यादि के पूर्व प्रकरण सहित पिछली लेखापरीक्षा के निष्कर्ष आते है। लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों का प्राप्त उत्तरों के आधार पर तथा आवश्यक्तानुसार सुझाई गई अनुपालना पर की गई कार्यवाही के आधार पर निपटारा किया जाता है। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्बंधित मंत्रालय/ विभाग के सचिव के प्रतिउत्तर के पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए ड्राफ्ट पैरा के रूप में विकसित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुछेद 151 के अनुसार लेखापरीक्षा को संसद/ सम्बंधित राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है।

1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मंत्रालयों/ विभागों का अनुदान और व्यय

मंत्रालयों/ विभागों के वित्तीय वर्ष 2017-2018 तथा 2018-2019 के तीन सिविल अनुदानों को लेकर सकल प्रावधान एवं व्यय को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.1: अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग		2017-18			2018-19		
		अनुदान/ *विनियोजन* (अनुपूरक अनुदान सहित)	कुल व्यय	(-) बचत/ (+) आधिक्य	अनुदान/ *विनियोजन* (अनुपूरक अनुदान सहित)	कुल व्यय	(-) बचत/ (+) आधिक्य
1.	डी ओ टी	40,188.21	31,054.71	(-)9,133.50	38,885.12	28,733.17	(-)10,151.95
2.	डी ओ पी	28,131.57	26,782.12	(-)1,349.45	29,941.72	28,805.62	(-)1,136.10
3.	एम इ आई टी वाई	4,185.25	4,039.54	(-)145.71	6,401.92	6,357.41	(-)44.51

(स्रोत: वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए विभागों के विनियोजन लेखे)

आगे के परिच्छेदों में लेखापरीक्षा इकाइयों की संक्षिप्त रूप रेखा की चर्चा की गई है।

1.6 संचार मंत्रालय

1.6.1 दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) दूरसंचार क्षेत्र में नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य और अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार है। विभाग आवृति आवंटन के साथ अन्य वैश्विक संस्थानो के निकट समन्वय में रेडियो संचार का प्रबंधन भी करता है। यह वायरलेस नियामक उपायों को लागू तथा देश के सभी उपयोगकर्ता के वायरलेस ट्रांसमिशन की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग सरकार द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुसार विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी एवं मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेटरो को लाइसेंस भी प्रदान करता है।

1.6.1.1 डी ओ टी का राजस्व एवं व्यय

डी ओ टी के वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान के राजस्व एवं व्यय की तुलनात्मक स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.2: डी ओ टी का राजस्व और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व	30,624.18	55,129.10	70,241.14	32,065.90	40,815.73
व्यय	13,026.14	23,584.81	31,067.78	31,054.71	28,733.17

(स्रोत: डी ओ टी के विनियोजन और वित्त लेखे)

व्यय के प्रमुख घटक में संचार सेवा (एमएच: 3275) से सम्बंधित खर्चे तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (एमएच: 2071) शामिल है। विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल है। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का विवरण **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लाइसेंस शुल्क	12,358.29	15,771.27	15,614.44	13,261.84	11,134.02
स्पेक्ट्रम राजस्व[1]	17,841.93	36,486.91	53,860.69	18,000.97	29,357.46

(स्रोत: केंद्र सरकार के वित्त खाते)

1.6.1.2 टेलीकॉम सेक्टर की संक्षिप्त रूपरेखा

देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुआ है। पिछले दशक के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 99.61 करोड़ से बढ़कर 118.34 करोड़ हो गई। दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए समग्र वृद्धि की स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

[1] जिसमें स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क एवं नीलामी शुल्क शामिल हैं (अग्रिम एवं विलम्बित भुगतान दोनों)

तालिका 1.4: दूरसंचार क्षेत्र में विकास की स्थिति

वर्ष	उपभोक्ता (करोड़ में)					टेलीघनत्व (प्रतिशत में)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	वायरलाइन	वायरलेस	कुल	ग्रामीण	शहरी#
2014-15	99.61	41.61	58.00	2.66	96.95	79.36	48.04	149.04
2015-16	105.93	44.78	61.15	2.52	103.41	83.40	51.26	154.18
2016-17	119.50	50.18	69.32	2.44	117.06	93.01	56.98	171.52
2017-18	121.18	52.59	68.59	2.28	118.90	93.27	59.25	166.64
2018-19	118.34	51.43	66.91	2.17	116.17	90.10	57.50	159.66

(स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) की वार्षिक रिपोर्ट)

*# **अधिकतर ग्राहकों का एक से अधिक कनेक्शन होने के कारण शहरी क्षेत्रों में टेलीघनत्व प्रतिशत** 100 **प्रतिशत से अधिक है।***

टेलीकॉम सेक्टर का उपभोक्ता के आधार पर पिछले पांच साल के अवधि का वृद्धि **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: ग्राहक आधार में वृद्धि- निजी बनाम सार्वजनिक उपक्रम

ग्राहकों की संख्या (करोड़ में)

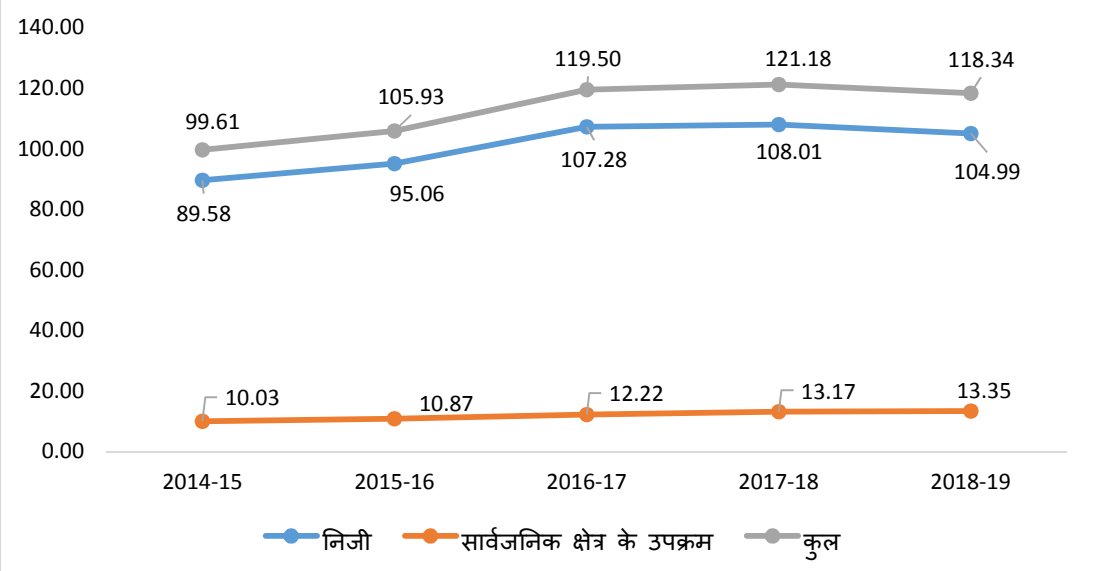

चार्ट 1.1 से पता चलता है कि यद्यपि 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली पांच साल की अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के ग्राहक आधार निरपेक्ष रूप से केवल 17 प्रतिशत की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहक आधार में लगभग 33 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, निजी दूरसंचार कंपनियों के ग्राहक आधार में 15.41 करोड़ की वृद्धि की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहक आधार में मात्र 3.32 करोड़ की वृद्धि हुई। निजी

टेलीकॉम कंपनियां अभी भी बाजार के टेलीकॉम सेक्टर में लगभग 89 फीसदी हिस्सेदारी रखती हैं।

1.6.1.3 सेक्टर का नियामक ढांचा

अ. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 20 फरवरी 1997 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना तथा दूरसंचार सेवाओं के लिए दर का निर्धारण/ संशोधन करना था, जोकि पहले केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। ट्राई का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है, जो निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित तथा सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान स्तर के कार्य क्षेत्र प्रदान करने के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और सभी तक तकनीकी लाभ को पहुचाये। अधिनियम के तहत ट्राई का कर्तव्य है:

क) दूरसंचार लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

ख) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को तय करना और गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करना;

ग) टैरिफ नीति निर्दिष्ट करना और नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश की शर्तों की सिफारिश करना और सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस की शर्तों पर सिफारिश करना;

घ) टैरिफ नीति की निगरानी, इंटरकनेक्शन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर विचार और निर्णय;

ङ) कॉल रूटिंग और कॉल हैंडओवर के सिद्धांत;

च) जनता के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं की समान सुगमता एवं चुनने की स्वतंत्रता;

छ) विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए बाजार के विकास और विविध नेटवर्क संरचनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्षों का समाधान;

ज) मौजूदा नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता तथा

झ) सेवा प्रदाताओं के मध्य विचारों का आदान प्रदान और उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण की बातचीत के लिए मंचों का विकास।

सरकार ने दिनांक 09 जनवरी 2004 की अधिसूचना द्वारा, प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवाओं की श्रेणी में परिभाषित किया और इस प्रकार इन क्षेत्रों को ट्राई के दायरे में लाया गया। इसके अतिरिक्त ट्राई खुद से अथवा डी ओ टी, एम ओ सी या सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आई एण्ड बी) जैसे लाइसेंस धारियों के सन्दर्भ के पश्चात ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं के मामले में सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी है।

ब. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी सैट)

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी सैट) की स्थापना ट्राई अधिनियम में एक संशोधन के पश्चात 24 जनवरी 2000 को की गई थी जिसका उद्देश्य सेवा प्रदाता और लाइसेंसर के मध्य या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच एवं सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के समूह के मध्य के विवादों का निवारण करना था तथा ट्राई के निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील को सुनना तथा निपटारा करना था।

1.6.1.4 महत्वपूर्ण डी ओ टी इकाइयाँ

दूरसंचार विभाग के अंतर्गत लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल एस ए) इकाईयां (जिसे पूर्व में दूरसंचार प्रवर्तन और संसाधन निगरानी (टर्म) सेल के नाम से जाना जाता था), संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए), वायरलेस योजना और समन्वय विंग (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टी ई सी) ,नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंव ट्रेनिग (एन टी आई पी आर आई टी) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस (एन आई सी एफ) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी डॉट) जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है, आते है।

1.6.1.5 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ)

भारत सरकार (जी ओ आई) ने ग्रामीण टेलीफोनी को प्रोत्साहन देने के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2002 को संसद द्वारा पारित अधिनियम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू एस ओ एफ) का गठन किया। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यू एस ओ) के लिए संसाधनों की आपूर्ति को विभिन्न लाइसेंस के जरिये सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के द्वारा प्राप्त राजस्व के एक भाग द्वारा यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) के माध्यम से किया जाना था। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 2003 के पैरा 9 बी के अनुसार, यू एस ओ एफ के जरिये प्राप्त धनराशि को सर्वप्रथम भारत की संचित निधि में जमा

किया जाना था। अगर भारत सरकार चाहे तो वह संसद द्वारा निधि के विनियोजन के पश्चात इस निधि को समय समय पर विशेष रूप से यू एस ओ के कार्य के लिए उपयोग कर सकती है।

डी ओ टी द्वारा 31 मार्च 2019 तक यू एस ओ लेवी के रूप में ₹ 99,637.56 करोड़ की राशि एकत्र की गई एवं भारत की संचित निधि में जमा की गई। इस राशि में से ₹ 6,911.50 करोड़ 2018-19 के दौरान एकत्र किए गए। 31 मार्च 2019 तक डी ओ टी ने संसद द्वारा विनियोग के माध्यम से ₹ 49,047.48 करोड़ की राशि अर्जित की और यूएसओ फंड में जमा कर दी (₹ 4,788.22 करोड़ 2018-19 के दौरान प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 4,403.25 करोड़, लेखांकन शीर्ष 3275.00.1203.01 यू एस ओ एफ के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति में हस्तांतरित किए गए है और ₹ 384.97 करोड़ लेखांकन शीर्ष 3275.00.796.02- जनजातीय क्षेत्र उपन्योजना के तहत यू एस ओ एफ के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति में हस्तांतरित किया)। इनमे से ही ₹ 6,948.64 करोड़ वर्ष 2002-06 के दौरान यू एस ओ एफ के तहत ग्रामीण दायित्व को पूरा करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रतिपूर्ति हेतु लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में वर्ष 2008-09 में समायोजित किये गये। इस प्रकार ₹ 50,590.08 करोड़ की राशि अभी भी भारत सरकार द्वारा यू एस ओ एफ को हस्तांतरित नहीं की गई है (2018-19 के दौरान डी ओ टी को ₹ 2,123.28 करोड़ का कम हस्तांतरण किया गया)।

1.6.1.6 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू)

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क. भारत संचार निगम लिमिटेड

अक्टूबर 2000 में गठित भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है, जो दिल्ली और मुंबई को छोड़कर देश के अन्य भागों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बी एस एन एल एक तकनीक-उन्मुख कंपनी है और यह विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं जिसमें लैंडलाइन पर दूरभाष सेवाएं, वायरलेस इन लोकल लूप (डब्लू एल एल), मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल

सिस्टम (जी एस एम), ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, लीज्ड सर्किट और लम्बी दूरी की दूरसंचार जैसी सेवाएं शामिल है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹ 19,320.67 करोड़ था और इसने ₹ 14,938.08 करोड़ का नुकसान उठाया।

विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी का समग्र निष्पादन **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5: विगत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल का प्रदर्शन

वर्ष	राजस्व	व्यय	हानि	सब्सक्राइबर बेस		
				वायरलाइन	वायरलेस	कुल
	(₹ करोड़ में)			(करोड़ में)		
2016-17	31,533.44	36,326.65	4,793.21	1.38	9.62	11.00
2017-18	25,070.64	33,808.80	8,001.82	1.23	11.18	12.41
2018-19	19,320.67	34,224.91	14,938.08	1.12	11.56	12.68

जैसा कि **तालिका 1.5** से स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों में बी एस एन एल के ग्राहक आधार में लगातार वृद्धि हुई है, फिर भी कंपनी के राजस्व में लगातार गिरावट देखी गई। इस प्रकार कंपनी, ग्राहक आधार में वृद्धि से राजस्व वृद्धि करने में असफल रही।

ख. बी एस एन एल टावर कारपोरेशन लिमिटेड

बी एस एन एल टॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएसएनएल की एक सहायक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है। इसे 04 जनवरी 2018 को निगमित किया गया था और यह दिल्ली में स्थित है। इसे भारत सरकार की कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बी एस एन एल टॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यतः परिवहन, भंडारण और संचार के क्षेत्र में कार्य करता है। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 10,000 करोड़ है और कुल चुकता पूंजी ₹ 17,000 करोड़ है। कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान कोई राजस्व अर्जित नहीं किया और इसे ₹ 2.77 करोड़ रुपये की हानि हुई।

ग. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) को एक पूर्ण स्वामित्व सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम,1956 के तहत् 1986 में स्थापित किया गया था तथा यह दिल्ली व मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबधंन व प्रचालन के लिए उत्तरदायी है। एम टी एन एल इन दो महानगरो में फिक्सड लाईन दूरसंचार सेवा एंव जी एस एम मोबाईल सेवा का प्रमुख प्रदाता है। एम टी एन एल पृथक गैर विशिष्ट लाईसेंस करार के अंतर्गत दिल्ली व मुंबई में डायलअप इंटनेट सेवाए भी प्रदान कर रहा

है। यह ब्रॉडबैंड व 3 जी सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। सरकार ने वर्ष 1994 में 20 प्रतिशत अंश बैंकों/ उनके सहायक एवं वित्रीय संस्थाओं में विनिवेष किये। एम टी एन एल अभी तक एक सूचीबद्ध कंपनी है और 56.25 प्रतिशत अंश सरकार के पास और शेष निजी अंशधारको के पास है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹ 2,606.71 करोड़ था और इसे ₹ 3,397.58 करोड़ की हानि हुई।

विगत तीन वर्षो में कंपनी का समग्र निष्पादन **तालिका 1.6** में वर्णित हैः

तालिका 1.6: विगत तीन वर्षों के दौरान एम टी एन एल का प्रदर्शन

वर्ष	राजस्व	व्यय	हानि	सब्सक्राइबर बेस		
				वायरलाइन	वायरलेस	कुल
	(₹ करोड़ में)			(करोड़ में)		
2016-17	3,552.46	6,497.91	2,941.08	0.35	0.36	0.71
2017-18	3,116.42	6,089.87	2,970.65	0.33	0.36	0.69
2018-19	2,606.71	5,996.91	3,397.58	0.32	0.35	0.67

कंपनी के राजस्व के साथ कंपनी के ग्राहक आधार में भी लगातार गिरावट देखी गई है। हालांकि, कंपनी के खर्चों में कमी आई है, फिर भी यह विगत तीन वर्षों के दौरान लगातार बढ रहे नुकसान को रोक नहीं पाया है।

घ. मिलेनियन टेलीकाम लिमिटेड (एम टी एल)

महानगर टेलीकाम निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) द्वारा मिलेनियम टेलीकाम लिमिटेड (एम टी एल) का निर्माण वर्ष 2000 में एक पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी के रूप में सबमरीन केबल परियोजना की स्थापना तथा आई टी समाधान के लिए किया गया था। वर्ष 2018-19 में कंपनी का कुल राजस्व ₹ 7.69 करोड़ था और इसने ₹ 0.64 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

ङ. भारतीय दूरभाष उदयोग लिमिटेड (आई टी आई)

आई टी आई दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी उद्यम है। आई टी आई ने 1948 में बंगलुरू में अपना संचालन प्रारंभ किया जिसे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पालक्काड में निर्माण संयत्र स्थापित कर अन्य क्षेत्रों में आगे विस्तारित किया। कंपनी का कुल राजस्व वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 2,004.84 करोड़ था तथा इसने ₹ 110.85 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

च. भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आई एल)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आई एल) की स्थापना, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने के मुख्य उद्देशय से, विदेशी एवं घरेलू बाज़ारों में उचित विपणन रणनीति विकसित कर तथा अत्याधुनिक तकनीक को प्राप्त कर अपने संचालन में उत्कृष्ट होने के लिए वर्ष 1978 में हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹ 1,622.22 करोड़ था इसने ₹ 31.41 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

छ. तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टी टी एल)

तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड को टी सी आई एल (49 प्रतिशत), तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (टी आई डी सी ओ) (14.63 प्रतिशत) तथा फूजीकुरा लिमिटेड ऑफ जापान (7.18 प्रतिशत) को एक त्रिकोणीय संयुक्त उदयम के रूप में वर्ष 1988 में निगमित किया गया था। बाकी अंश बैंको व वित्तीय संस्थानो, प्राईवेट ट्रस्ट, एन आर आई व भारतीय जनता के पास है। टी टी एल दूरसंचार के लिए आप्टीकल फाइवर केबिल का निर्माण करती है। यह कंपनी बी आई एफ आर को संदर्भित है व 21 जुलाई 2010 को पुनर्गठन की एक योजना को संस्वीकृति प्रदान की गई थी। इसने टेबलेट पी सी व एफ टी टी एच (फाइबर टू होम) घटको का उत्पाद शुरू किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹ 0.05 करोड़ था तथा इसे रूपये ₹ 15.93 करोड़ की हानि हुई।

ज. टी सी आई एल - बीना टोल रोड लिमिटेड

टी सी आई एल - बीना टोल रोड लिमिटेड टी सी आई एल की पूर्ण धारित सहायक कंपनी है और इसे 2012 में निगमित किया था। इस कंपनी को मध्यप्रदेश के बीना और कुरबई टाऊन के बीच डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण (डी बी एफ ओ टी) आधारित टोल रोड ढांचागत परियोजना के क्रियान्वयन के उदेश्य से बनाया गया था। कम्पनी ने अपना वाणिज्यिक प्रचालन अप्रैल 2014 में प्रारम्भ किया। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹ 5.25 करोड़ था एवं इसने ₹ 5.22 करोड़ की हानि का वहन किया।

झ. टी सी आई एल - लखनादौन टोल रोड लिमिटेड

टी सी आई एल- लखनादौन टोल रोड लिमिटेड जो भारतीय दूरसंचार परामर्श दाता लिमिटेड (टी सी आई एल) की पूर्ण धारित सहायक कंपनी है, को वर्ष 2013 में निगमित किया गया था। यह एक स्पेशल परपज व्हीकल (एस पी वी) है जिसका गठन लखनादौन टोल रोड परियोजना के विकास के मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड (एम पी आर डी सी) के साथ रियायत ग्राही अनुबंध हुआ और अगस्त 2014 में टी सी आई एल, एम पी आर डी सी और कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ ताकि टी सी आई एल के नाम को बदलकर कंपनी का नाम रखा जा सके। इसके अतिरिक्त परियोजना की समाप्ति तक टी सी आई एल एक सहायक संगठन के रूप मे कार्य करेगी और इसे कंपनी को सौप देगी। कंपनी का वर्ष 2018-19 का कुल राजस्व ₹ 6.69 करोड़ था एवं ₹ 0.058 करोड़ की हानि का वहन किया।

ण. भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)

भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल) जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एस पी व्ही) है, को राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) निष्पादित करने हेतु 2012 में भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित किया गया। बी बी एन एल को, देश के लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को बी एस एन एल, रेलटेल एवं पावर ग्रिड जैसी पी एस यू के मौजूदा फाइबरो का उपयोग करते हुए आप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई और आवश्यकता पडने पर ग्राम पंचायतो एवं ब्लाकों के मध्य सम्पर्कता अंतर को कम करने के लिये अतिरिक्त फाईबर बिछाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ ब्राडबैंड संपर्कता सुनिश्चित करेगा। कंपनी का वर्ष 2018-19 में कुल राजस्व ₹ 583.86 करोड़ था एवं इसने ₹ 3.36 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

1.6.2 डाक विभाग (डी ओ पी)

भारतीय डाक नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत 1.54 लाख से अधिक डाक घर है तथा यह देश के दूरस्थ किनारों तक फैला हुआ है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि डाक का प्रसंस्करण, प्रेषण एवं वितरण है, विभाग द्वारा विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं, जिसमें धन प्रेषण, बैंकिंग के साथ-साथ बीमा भी शामिल है, प्रदान की जाती है। यह सैन्य एवं रेलवे पैंशन भोगियों को पैंशन एवं पारिवारिक पेंशन

के संवितरण, कोयला खदानों के कर्मचारियों के परिवारों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के कर्मचारियों के परिवारों की पारिवारिक पेंशन के संवितरण के कार्य में भी लगा है। डाक विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे सामाजिक लाभ के भुगतानों की जिम्मेदारी भी ली है।

विभाग ने बडे पैमाने पर नागरिकों को पासपोर्ट सेवा प्रदान करने एवं नागरिकों के लाभ के लिए व्यापक क्षेत्र कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ करार किया है जिसके तहत डाकघर के नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए इन्हें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के रुप में उपयोग किया जाएगा। सरकार द्वारा विभाग को डाकघरों के आधार नामांकन तथा अद्ययन केंद्र के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी भी सौपी गयी है।

व्यवसायिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए और विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभाग ने स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट, लॉजस्टिक पोस्ट आदि कई प्रीमियम सेवाएं शुरु की हैं तथा ई-पोस्ट, ई-पैमैंट, ई-पोस्ट ऑफिस इत्यादि ई-उत्पादों की श्रंखला भी शुरु की है।

विभाग ने परिचालन दक्षता के रुपांतरण एवं आधुनिक तकनीक तथा कनेक्टिविटी के माध्यम से परिचालन एवं प्रशासनिक इकाइयों के वितरण में सुधार के उद्देश्य से आई टी आधुनिकीकरण परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना देश के दुरस्थ भागों में स्थित सभी डाकघरों को जोड़ेगी, जिससे देश के सभी प्रकार के जबावदेही मेल और पार्सल की ट्रेकिंग एवं ट्रेसिंग संभव होगी। यह परियोजना आठ खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है।

1.6.2.1 वित्तीय निष्पादन

विभाग की आय 'राजस्व प्राप्तियां' एवं 'वसूलियों[2]' के रुप में होती है डाक विभाग के वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की राजस्व प्राप्तियों, वसूलियों एवं राजस्व व्यय को **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

[2] सेवायें, जो अन्य सरकारों व केन्द्र सरकार के विभागों को दी गई थी, के कारण वसूलियां

तालिका 1.7: डी ओ पी की राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	वसूलियों	राजस्व व्यय	घाटा (2)+(3)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014-15	11,635.98	661.98	18,556.56	6,258.60
2015-16	12,939.79	707.70	19,654.67	6,007.18
2016-17	11,511.00	730.90	24,211.85[3]	11,969.95
2017-18	12,832.76	770.25	26,018.84[4]	12,415.83
2018-19	13,195.68	821.29	27,994.35	13,977.38

(स्रोत: डी ओ पी के विनियोजन लेखे)

यद्यपि विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों के साथ वसूलियों में सतत् वृद्धि हुई है फिर भी राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण घाटा बढ़ता जा रहा है। विभाग द्वारा राजस्व व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण वेतन, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवा एवं अन्य प्रभागों इत्यादि से बढ़े हुए व्यय के कारण कार्यचालन वृद्धि बताया गया है।

1.6.2.2 पोस्टल जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा

पोस्टल जीवन बीमा (पी एल आई) देश का सबसे पुराना बीमाकर्ता है जिसे एक फरवरी 1884 को डाक कर्मचारियों के लाभ हेतु कल्याणकारी योजना के रुप में आरंभ किया गया था और इसे वर्ष 1888 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया गया। वर्ष 1894 में, जब अन्य किसी बीमा कंपनी द्वारा महिलाओं को जीवन बीमा में रक्षण नहीं दिया जाता था, पी एल आई ने पी एण्ड टी विभाग की महिलाओं को बीमा रक्षण में शामिल किया।

अब इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों, केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, विश्व विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीयक्रत बैंकों, स्थानीय निकायों, स्वायत्य निकायों, न्यूनतम 10 प्रतिशत सरकार/ पी एस यू हिस्सेदारी वाले संयुक्त उपक्रमों तथा ऋण सहकारी समितियाँ इत्यादि के कर्मचारी आते है। पी एल आई रक्षा सेवाओं एवं अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी बीमा कवर प्रदान करता है।

[3] जिसमें सहायता अनुदान के रूप में आई पी पी बी को दिए गए ₹ 24.95 लाख शामिल हैं

[4] जिसमें सहायता अनुदान के रूप में आई पी पी बी को दिए गए ₹ 374.55 लाख शामिल हैं

ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) की स्थापना 24 मार्च 1995 को भारत के ग्रामीण नागरिको के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर श्री आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु अधिकारिक समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पोस्टल लाईफ इंश्योरेंस को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा व्यवसाय को विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का विशाल नेटवर्क तथा संचालन की कम लागत है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को सामान्य रुप से बीमा कवर प्रदान करना तथा विशेष तौर ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों एवं महिला श्रमिकों को लाभान्वित करने के साथ ग्रामीण नागरिकों में बीमा के लिए जागरुकता फैलाना है।

विगत पांच वर्षों के दौरान पी एल आई एवं आर पी एल आई के व्यवसाय का विवरण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया हैः

तालिका 1.8: पी एल आई और आर पी एल आई का व्यवसाय

वर्ष	डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
	सक्रिय पॉलिसियों की संख्या	आश्वासित राशि (₹ करोड़ में)	सक्रिय पॉलिसियों की संख्या	आश्वासित राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	52,42,257	1,09,106.93	1,52,45,387	82,822.26
2015-16	49,30,838	1,09,982.10	1,49,15,652	81,733.73
2016-17	46,80,013	1,13,084.81	1,46,84,096	83,983.47
2017-18	43,59,855	1,16,499.40	1,36,61,694	80,811.39
2018-19	39,33,973	1,17,045.90	1,30,80,337	80,568.72

विगत पांच वर्षों के दौरान जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या **तालिका 1.9** में दर्शाई गई है.

तालिका 1.9: जारी की गई नई पॉलिसियां

वर्ष	डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
	वर्ष के दौरान जारी पॉलिसियों की संख्या	आश्वासित राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान जारी पॉलिसियों की संख्या	आश्वासित राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	3,24,022	14,276.92	4,77,360	4,652.36
2015-16	1,98,606	9,644.98	2,58,225	2,668.91
2016-17	2,13,323	11,096.68	3,75,134	6,850.46
2017-18	2,43,654	13,305.73	5,23,899	7,298.29
2018-19	2,89,908	17,094.44	7,72,650	9,875.79

उपरोक्त तालिकाओं से यह ज्ञात होता है कि पी एल आई के अंतर्गत विगत चार वर्षों में जारी की गई पॉलिसियों की संख्या तथा इन पॉलिसियों में आश्वासित राशि में वृद्धि

होने के बावजूद उनका रुपांतरण कुल सक्रिय पॉलिसियों में नहीं हुआ है। आर पी एल आई के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जारी की गई नई पॉलिसियों के साथ इन पॉलिसियों में आश्वासित राशि में भी समान प्रवृत्ति दिखाई देती है परिणाम स्वरुप आर पी एल आई के अंतर्गत वर्ष के दौरान कुल सक्रिय पॉलिसियों की प्रवृति में भी समानता है।

1.6.2.3 डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (आई पी पी बी) को 17 अगस्त 2016 को डी ओ पी के अंतर्गत भारत सरकार की एक 100 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली सार्वजनिक कंपनी के रुप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढावा देना तथा औपचारिक वित्तीय प्रणाली के लिये लोगो की पहुँच बढ़ाना था। 30 जनवरी 2017 को झारखण्ड के रांची तथा छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैंक की दो पायलट ब्रांच को शुरु किया गया तथा इसका देश व्यापी परिचालन 01 सितम्बर 2018 को शुरु हुआ। आई पी पी बी एक लाख रुपये तक के बचत एवं चालू खाता जैसे डिमांड डिपाजिट उपलब्ध कराता है तथा यह संस्थाओं एवं नागरिकों के मध्य प्रेषण सेवा तथा बीमा कंपनियों, म्यूच्यूअल फण्ड हाउस, पैंशन प्रदाताओं, बैंको, अन्तराष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण संगठनों इत्यादी के सहभागिता में बीमा, म्यूच्यूअल फण्ड, पैंशन, क्रेडिट प्रोड्क्टस एवं विदेशी मुद्रा जैसी थर्ड पार्टी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे अंतराल के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹ 48.28 करोड़ तथा घाटा ₹ 165.10 करोड़ था।

1.7 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के अलावा अन्य सभी मामले) के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। एम ई आई टी वाई की परिकल्पना विकसित राष्ट्र एवं संशक्त समाज में परिवर्तन हेतु यंत्र के रुप में भारत का ई विकास करना है।

एम ई आई टी वाई के उदेश्यों को संचालित करने के लिए, योजनाओं को स्वयं के अधिकार क्षेत्र के अधीन अथवा उनके जबावदेही केन्द्रो (संगठनों/ संस्थानों) के द्वारा

तैयार एवं कार्यान्वित किया जाता है। प्रौघोगिक को मजबूत एवं अत्याधुनिक बनाने के लिए शिक्षाविदों एवं निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता भी अपेक्षित है।

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यन्वयन के लिए एम ई आई टी वाई नोडल मंत्रालय है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उदेश्य भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तथा डिजिटल सेवाओं, डिजिटल एकसेस, डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, डिजिटल समावेश एंव डिजिटल सशक्तीकरण सुनिश्चित कर डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है।

अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए, भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में एम ई आई टी वाई को बजटीय सहायता प्रदान की गई है। एम ई आई टी वाई को वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय का विवरण **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: अनुदान के सापेक्ष व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान	कुल व्यय
2014-15	3,929	3,583
2015-16	2,759	2,594
2016-17	3,719	3,641
2017-18	4185	4040
2018-19	6402	6357

(स्रोत: एम ई आई टी वाई के विनियोजन लेखे)

मंत्रालय को आवंटित कार्य को पूरा करने के लिए एम ई आई टी वाई के प्रभार के अधीन दो संलग्न कार्यालय (एन आई सी, एस टी क्यू सी), छः स्वायत्त सोसाईटीयां (सी डी ए सी, सी एम ई टी, एन आई एल आई टी, एस ए एम ई ई आर, एस टी पी आई एवं ई आर एन ई टी इंडिया), तीन कंपनी अधिनियम की धारा आठ के अन्तर्गत कम्पनियां [एन आई सी एस आई, एन आई एक्स आई एवं डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (डी आई सी)], तीन संवैधानिक संगठन (सी सी ए, आई सी ई आर टी एंव यू आई डी ए आई) तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी (सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड) है।

1.7.1 संलग्न कार्यालयों की रूप रेखा

अ. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सरकार राज्य सरकारो, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, जिलो और अन्य सरकारी निकायों को आधारभूत नेटवर्क और ई गवर्नेंस की सुविधा प्रदान करता है। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग में (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, (ख) राज्य क्षेत्र एंव राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, तथा (ग) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं में सूचना एवं संचार प्रौदयोगिकी (आई सी टी) सेवाओं की वृहत श्रृंखला प्रदान करता है।

ब. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी)

एस टी क्यू सी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनो क्षेत्रों में विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए वर्ष 1980 में स्थापित संस्था है जिससे ग्राहको को अत्याधुनिक तकनीक आधारित गुणवत्ता वाली आश्वासन सेवाएँ प्रदान एंव आई टी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एम ई आई टी वाई के आदेश पत्र के साथ एक रूप किया जा सके।

1.7.2 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा एम ई आई टी वाई के अधीन 12 जुलाई 2016 को आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधायों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम 2016") के प्रावधानों के तहत की गई है।

यू आई डी ए आई वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित होने से पूर्व योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) के 28 जनवरी 2009 के राजपत्र अधिसूचना के तहत इसके एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में, 12 सितम्बर 2015 को सरकार द्वारा यू आई डी ए आई को संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौदयोगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) से संलग्न करने के लिए व्यवसाय आवंटन नियमों का संशोधन किया।

यू आई डी ए आई को सभी भारतीय रहवासियों को एक ऐसा अद्वितीय पहचान नंबर, जिसे आधार नाम दिया गया, जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया जो कि (अ) नकली

एंव जाली पहचान को समाप्त करने में सक्षम हो, एंव (ब) जिसे आसान एंव लागत प्रभावी तरीको से सत्यापित एंव प्रमाणित किया जा सके।

यू आई डी ए आई द्वारा देश के निवासियों के लिए 31 मार्च 2019 तक 123.57 करोड़ आधार संख्या जारी किये गये है। वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक जारी किये गये आधार की संख्या **चार्ट 1.2** में वर्णित है।

चार्ट 1.2: जारी किये गए आधार की संख्या

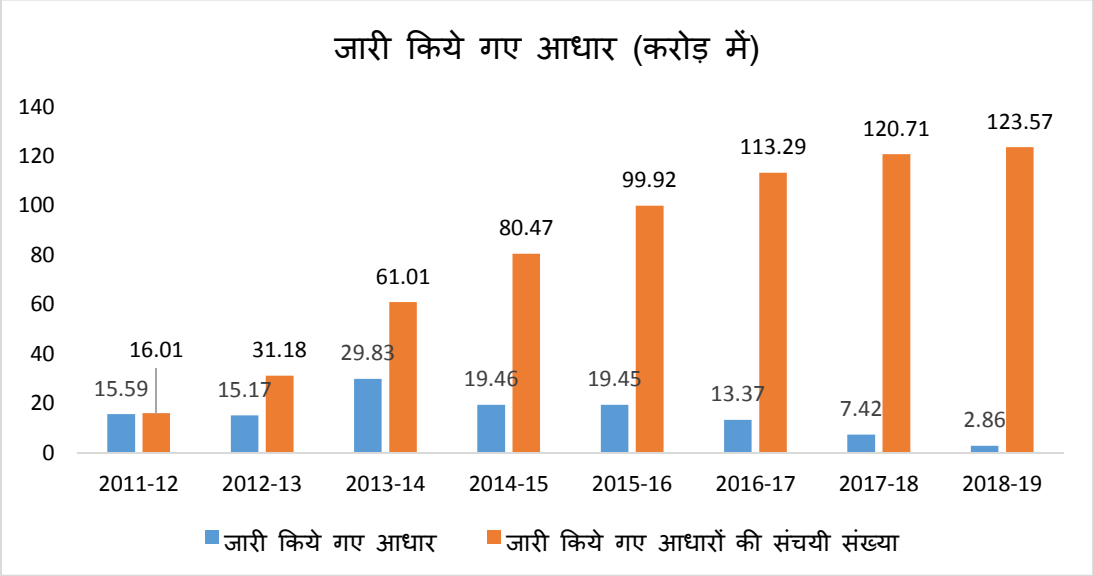

यू आई डी ए आई जन सांख्यिकीय और बायोमैट्रिक जानकारी का उपयोग कर आनलाईन प्रमाणीकरण प्रदान करता है। यू आई डी (आधार) नंबर विशिष्ट रूप से एक निवासी की पहचान प्रदान करने के साथ निवासियों को देश में कही भी सार्वजनिक और /या निजी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से अपनी पहचान स्थापित करने का साधन प्रदान करता है। यू आई डी ए आई प्रमाणीकरण उपयोग कर्ता एजेंसी (ए यू ए), ई-के वाय सी उपयोगकर्ता ऐजेंसी (के यू ए) और प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी (ए एस ए) नामक एजेंसियों के माध्यम से प्रमाणीकरण तथा ई-के वाई सी सेवाएं प्रदान करता है। चार्ट 1.3 में वर्ष वार प्रमाणीकरण एंव ई-के वाई सी लेन देन दर्शाया गये है।

चार्ट 1.3: आधार प्रमाणीकरण लेनदेन

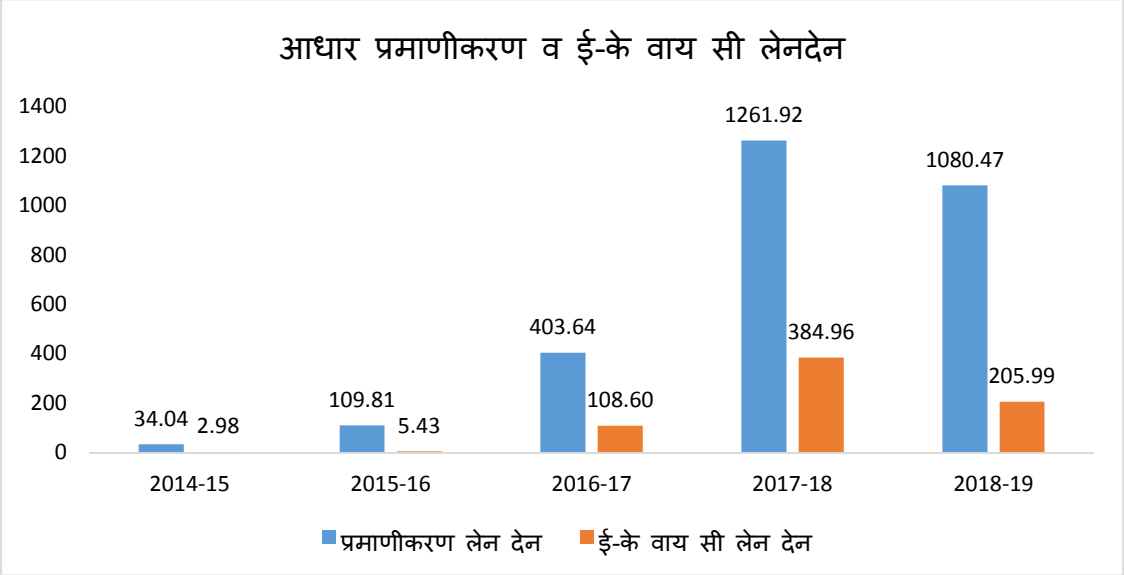

यू आई डी ए आई का बजट और व्यय **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: यू आई डी ए आई का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2009-10	120.00	26.38	26.21
2010-11	1,900.00	273.80	268.41
2011-12	1,470.00	1,200.00	1,187.50
2012-13	1,758.00	1,350.00	1,338.72
2013-14	2,620.00	1,550.00	1,544.44
2014-15	2,039.64	1,617.73	1,615.34
2015-16	2,000.00	1,880.93	1,680.44
2016-17	1,140.00	1,135.27	1,132.84
2017-18	900.00	1,150.00	1,149.38
2018-19	1,375.00	1,344.99	1,181.86

1.7.3 एम आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू)

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है:

अ. डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन, जिसे पूर्व में मीडिया लैब एशिया के नाम से जाना जाता था, को कंपनी अधिनियम, 1956 का धारा 25 के तहत् 'गैर लाभकारी कंपनी' के रुप

में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य आम आदमी तक आई सी टी से उत्पन्न लाभों को पहुचाना है। कंपनी के अनुप्रयोग क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आजीविका एवं विकलांगों के सशक्तीकरण के लिये आई सी टी का उपयोग शामिल है। यह एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है और इसके पास कोई अंश पूंजी नहीं है। इसकी लेखापरीक्षा भारत के नियत्रंक - महालेखापरीक्षक को कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143 (5) और 143 (6) के अंतर्गत सौपी गई है। कंपनी विकास कार्यो के लिये अग्रणी संस्थानों के साथ काम करती है। 31 मार्च 2018 को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹ 217.89 करोड़ तथा हानि ₹ 23.50 करोड़ था।

ब. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा संस्थान (एन आई सी एस आई)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा संस्थान (एन आई सी एस आई) को सरकारी संगठनों को पूर्ण आई टी समाधान उपलब्ध कराने के लिये, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। एन आई सी एस वाई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्धयोगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कर भारत को आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। कंपनी का वर्ष 2018-19 में कुल राजस्व ₹ 1240.33 करोड़ था और इसने ₹ 85.23 करोड़ की हानि का निर्वाहन किया।

स. सी एस सी ई - गवर्नैन्स सर्विसेस इंड़िया लिमिटेड

कॉमन सेवा केन्द्र (सी एस सी) योजना डिजिटल इंड़िया प्रोग्राम के तहत् लक्ष्य आधारित परियोजनाओं में से एक है। सी एस सी ई-गवर्नेन्स सर्विससेस इंड़िया लिमिटेड़, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, को एम ई आई टी वाई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सी एस सी योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। सी एस सी एस पी वी, योजना की व्यवस्थित व्यवहार्यता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सी एस सी के माध्यम से नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक केन्द्रीकृत सहयोगात्मक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹ 675.06 करोड़ था और इसने ₹ 63.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

1.8 लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर मंत्रालयों/ विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पी ए सी) की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए कि वे पैराग्राफ प्राप्ति के छ सप्ताह के भीतर भारत के

नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले ड्राफ्ट पैराग्राफ पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें। तदनुसार ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर अपना ध्यान आकर्षित करने तथा उनपर छ सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने के अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जाता है।

संबंधित मंत्रालयों/ विभागों ने 18 पैराग्राफ जिन्हे अध्याय II से VI में छापा गया है, में से एक का जवाब नहीं भेजा है (दिसंबर 2020 तक)। शेष 17 पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया का ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में उपयुक्त रुप से शामिल किया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूलियां

लेखापरीक्षा के दौरान एन आई सी पुणे द्वारा बिजली के बिलों का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान देखा गया, जिसको लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कार्यवाही के परिणामस्वरुप वसूली की गई।

नैशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर (एन आई सी) पुणे, ने महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड़ (एम एस ई टी सी एल) से डेटा सेंटर हेतु एक्सप्रेस फीडर कनेक्शन लिया था। एम एस ई डी सी एल ने अगस्त 2012 में सरकारी संगठनों को एच टी - II-वाणिज्यिक की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए टैरिफ आदेश जारी किए। इस आदेश को नवंबर 2016 में संशोधित करते हुए सरकारी संगठनों को हाई टेंशन (एच टी)-IX (बी)- लोकसेवा (अन्य) श्रेणी से स्थानांतरित कर वाणिज्यिक श्रेणी की तुलना में कम बिजली दरों के अंतर्गत लाया गया। एन आई सी, पुणे एक सरकारी संगठन होने के नाते लोकसेवा की श्रेणी के तहत् कम बिजली दरों का शुल्क देने का हकदार था, परंतु नवंबर 2016 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान 'वाणिज्यिक' श्रेणी में गलत वर्गीकरण के कारण एन आई सी, पुणे द्वारा ₹ 2.64 करोड़ के अतिरिक्त उच्च बिजली शुल्क का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस बात पर ध्यान आकर्षित करने के पश्चात इस मामले को एम एस ई डी सी एल के साथ उठाया गया तथा जनवरी 2019 से एन आई सी, पुणे की श्रेणी को एच टी-II वाणिज्यिक से बदलकर (एच टी)-IX (बी)- लोकसेवा (अन्य) का दिया गया। एम एस ई डी सी एल ने मई 2019 से ₹ 88.07 लाख की तीन समान किश्तों में ₹ 2.64 करोड़ के टैरिफ अंतर के समायोजन की मंजूरी प्रदान की। एम एस

ई डी सी एल द्वारा बिजली बिलों में जुलाई 2019 तक ₹ 1.71 करोड़ समायोजित किए थे।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (सिविल)

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लंबित एक्शन टेकन नोट (ए टी एन) का प्रस्तुतीकरण तीन माह की अवधि के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और अनुंशसा की, कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष और आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों पर ए टी एन, संसद में प्रतिवेदन के रखे जाने के चार माह के अंदर, लेखापरीक्षा से विधिवत् पुनरीक्षण करवाकर, उनको प्रस्तुत किये जाये।

इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को ससंद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोकसभा) में अनुशंसा की, कि उपचारात्मक कार्यवाही करने और पी ए सी को ए टी एन प्रस्तुत करने में असामान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्रधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। तत्पश्चात, व्यय विभाग के अन्तर्गत एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया जिसे लेखापरीक्षा से विधिवत् पुनरीक्षित ए टी एन सभी सम्बंधित मंत्रालयों/ विभागों से एकत्रित करने व समन्वय का तथा उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संसद में प्रस्तुत होने के निर्धारित चार महीनों के अन्दर पी ए सी को प्रेषित करने का कार्य सौंपा गया।

वर्ष 2019 की अवधि तक संघ सरकार (संचार व आई टी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों पर ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत दो विभागों अर्थात् डाक विभाग, दूरसंचार विभाग से संबंधित 43 अनुच्छेदों के संबंध में ए टी एन विभिन्न स्तरों पर लंबित थे। वर्ष वार विवरण **परिशिष्ट I** में दर्शाया गया है।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही- (वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में बनाये गये लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते है। अत यह आवश्यक है कि

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखपारीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी अधिकारी से उपयुक्त और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनो सदनों के पटल पर रखे गए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न अनुच्छेदों/ मूल्याँकनों पर समस्त मंत्रालयों से, उनके द्वारा की गयी उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्यावाही को दर्शाते हुए, टिप्पणियों (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया (जुलाई 1985)। इस प्रकार की टिप्पणियाँ उन अनुच्छेदों/ मुल्यांकनो के संबंध में भी प्रस्तुत की जानी वांछित थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की समिति (सी ओ पी यू) द्वारा विस्तृत जाँच के लिये चयनित नहीं किया गया था। सी ओ पी यू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99 बारहवी लोकसभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए, अनुशंसा की:

अ. विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में एक्शन टेकन नोटस के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना;

आ. विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनेकों पी एस यू से संबंधित अनुच्छेदों को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के संबंध में ए एन के प्रस्तुतीकरण के निगरानी हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना; तथा

इ. संसद में प्रस्तुत किये गये सी ए जी से समस्त प्रतिवेदनों के संबंध में, संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छ माह के भीतर, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित, ए टी एन पर अनुवर्ती कार्यवाही का समिति को प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सी ओ पी यू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000 तेरहवी लोकसभा) में अपनी पूर्ववर्ती अनुशंसाओं को दोहराया कि डी पी ई को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा पृथक-पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट पर्यवेक्षणों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही के निगरानी हेतु स्वंय डी पी ई में एक पृथक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार,

अगस्त 2000 से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों द्वारा ए टी एन के प्रस्तुत करने पर अनुवर्ती कार्यवाही का निगरानी करने के लिये डी पी ई में एक निगरानी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। संबंधित मंत्रालयों में भी सी ए जी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर ए टी एन प्रस्तुत करने के लिये निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किये गये है।

पुनः, सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में यह निर्णय लिया गया था कि अगले तीन माह के अंदर सी ए जी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों और सी ओ पी यू की अनुशंसाओं पर लंबित ए टी एन/ ए टी आर का निपटान करने हेतु विशेष प्रयास किये जाये। इस निर्णय (जुलाई 2010) को संप्रेषित करते हुए वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये संस्थागत तंत्र की अनुशंसा की।

संचार मंत्रालय एवं एम ई आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पी एस यू से संबंधित वर्ष 2019 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में पता चला कि मार्च 2019 की स्थिति में, 96 अनुच्छेदों के संबंध में ए टी एन लंबित थे, जैसा **परिशिष्ट II** में वर्णित है।